न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 271 / 2022

प्रार्थी :– वोताराम पुत्र हीराराम, जाति कलबी, निवासी बुडीवाडा,

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)

बनाम

विप्रार्थीगण :–राजस्थान राज्य जरिये भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्तागण :– 1.श्री करणसिंह वकील प्रार्थी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

'आदेश'

दिनांक :– 10.07.2023

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा बुडीवाडा तहसील पचपदरा के खेत खसरा संख्या 1030 / 429 रकबा 3.6098 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम मे स्थित है । उक्त खातेदारी खेत का राजस्व रेकर्ड आनॅलाईन जमाबंदी मय नक्शा (भू नक्शा) मे अंकन ... मौके की स्थिति अनुसार सही बताया गया है, किन्तु हल्का पटवारी के पा... मौजुद नक्शा लट्ठा ट्रेस की नकल दिनांक 03.08.2022 को प्राप्त करने ... ज्ञात हुई कि सेटलमेंट का ऑनलाईन नक्शा सही है किन्तु पटवारी के पास

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:15 IST
Reason: SelfAttested

10.7.2023
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

नक्शे मे तरमीम इसके अनुरूप अंकित नहीं होने से दोनो मे भिन्नता है । प्रार्थी विवादित आराजी खसरा संख्या 1030/429 का अभिलेखित खातेदार है । खसरा संख्या 1030/429 की हल्का पटवारी द्वारा मनमाफिक एवं मौके की स्थिति के विपरीत गलत तरमीम कर दी गयी है, जिससे प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1030/429 के आनॅलाईन राजस्व (भू.नक्शा) रेकर्ड नक्शे व हल्का पटवारी के पास मौजुद नक्शा लटठा ट्रेस की तरमीम मे एकरूपता नही है जिससे भविष्य मे विवाद उत्पन्न न हो, इसलिए दुरूस्त किया जाना आवश्यक हो गया है मौके पर उक्त खसरे मे ऑनलाईन नक्शे अनुसार ही प्रार्थी का कब्जा काश्त है, अन्य किसी व्यक्ति का उक्त खसरे की भूमि पर कब्जा काश्त नही है। हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रेकर्ड नक्शे मे किये गये मनमाफिक व त्रुटिपूर्ण अंकन से प्रार्थी को भूमि सुधार करने, ऋण इत्यादी प्राप्त करने, भूमि रूपान्तरण करवाने इत्यादी मे समस्या उत्पन्न हो रही है अतः उक्त आराजी के खेत खसरा संख्या 1030/429 भूमि की तरमीम की आनॅलाईन नक्शे मे दर्ज अनुसार ही प्रविष्टियां हल्का पटवारी के पास उपलब्ध नक्शे मे अंकित कर शुद्व करने के निवेदन किया गया है ।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया, बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमनें विद्वान प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी । प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया किया कि मौजा बुड़ीवाड़ा तहसील बालोतरा के खेत खसरा संख्या 1030/429 रकबा 3.6098 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम राजस्व रेकर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

10.7.2023
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

ऑनलाईन जमाबंदी मय नक्शा (भू नक्शा) मे अंकन वास्तविक मौके की स्थिति अनुसार सही है, किन्तु हल्का पटवारी के पास मौजुद नक्शा लटठा ट्रेस की तरमीम मे एकरूपता नही है, जिससे भविष्य मे विवाद उत्पन्न न हो, इसलिए दुरूस्त किया जाना आवश्यक हो गया है, मौके पर उक्त खसरे मे ऑनलाईन नक्शे अनुसार ही प्रार्थी का कब्जा काश्त है, अन्य किसी व्यक्ति का उक्त खसरे की भूमि पर कब्जा काश्त नही है। हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रेकर्ड नक्शे मे किये गये मनमाफिक व त्रुटिपूर्ण अंकन से प्रार्थी को भूमि सुधार करने, ऋण इत्यादी प्राप्त करने, भूमि रूपान्तरण करवाने इत्यादी मे समस्या उत्पन्न हो रही है। अतः उक्त आराजी के खेत खसरा संख्या 1030/429 भूमि की तरमीम की आनॅलाईन नक्शे मे दर्ज अनुसार ही प्रविष्टियां हल्का पटवारी के पास उपलब्ध नक्शे मे अंकित कर शुद्व किये जाने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1030/429 भूमि रकबा 3.6098 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम राजस्व रेकर्ड आनॅलाईन जमाबंदी मय नक्शा (भू नक्शा) लटठा ट्रेस की तरमीम मे भिन्नता होने के कारण, प्रार्थी के आराजी खसरा संख्या 1030/429 भूमि रकबा 3.6098 हैक्टेयर मे मौका जांच करवा कर एकरूपता (डी.आई.एल. आर.एम.पी व लट्ठा ट्रेस) मे दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:15 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा [illegible] तहसील पचपदरा के खेत खसरा संख्या 1030/429 रकबा 3.6098 हैक्टेयर किस्म बा.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

10.7.2023
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

ायम के नक्शा ट्रेस व आनॅलाईन नक्शा जमाबंदी की भिन्नता की मौका जांच कर राजस्व रेकर्ड (डी.आई.एल.आर.एम.पीं व नंक्शा लट्ठा ट्रेस) को मौका स्थिती अनुसार दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है साथ ही निर्देश दिये जाते है कि आदेश की पालना कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे ।

(विवेक व्यास)
भू.अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 10.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.7.2023
भू.अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:15 IST
Reason: SelfAttested